



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Plot No: 3/86-E, AIEMA Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai-600058.
Phone No: 26250157 / 26250159. Fax No: 26250156 / 26250155
e-mail: nacin.chennai@gov.in



02-07-2026

कार्यालय आदेश संख्या 09 / 2026
OFFICE ORDER No. 09 / 2026

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)

अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन।

Sub: Constitution of Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 और उसके तहत जारी नियमों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा कुछ पुराने सदस्यों के स्थानांतरण /सेवानिवृत्ति /कार्यकाल समापन पर, इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाता है:

In exercise of the powers conferred under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules issued thereunder and following the Transfer/Retirement/ Completion of Tenure of some of the earlier members, the Internal Complaints Committee of this office is reconstituted as hereunder:

क्रम संख्या	अधिकारी / व्यक्ति का नाम (श्रीमती / श्री)	पद का नाम	समिति में भूमिका
Sl. No.	Name of the Officer(s) / Person(s) (Smt. / Shri)	Designation	Role in the Committee
I	श्रीमती मेघा गुप्ता Smt. Meghaa Gupta	संयुक्त निदेशक Joint Director	अध्यक्ष Chairperson
II	श्रीमती चे. सुबा शंकरी Smt. C. Suba Sankari	उप निदेशक Deputy Director	सदस्य Member
III	श्रीमती एल. जयंती Smt. L. Jayanthi	सहायक निदेशक Assistant Director	सदस्य Member
IV	श्री जितेन्द्र कुमार Shri Jitender Kumar	अपर सहायक निदेशक Additional Assistant Director	सदस्य Member
V	श्री सोमरिक बागची	अपर सहायक निदेशक	सदस्य

	Shri Somrik Bagchi	Additional Assistant Director	Member
VI	श्रीमती डी. सुगन्या Smt. D. Suganya	अतिरिक्त सहायक निदेशक Additional Assistant Director	सदस्य Member
VII	श्रीमती सी.जे. सेतु लक्ष्मी Smt. C.J. Sethu Lakshmi	प्रोग्राम लीड - YRG फ़ाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट: द सुनीति सोलोमन फ़ाउंडेशन Program Lead – YRG Foundation, Vice President: The Suniti Solomon Foundation	बाहरी सदस्य Member- External

2. यह आंतरिक शिकायत समिति, कार्यस्थल पर, महिलाओं द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई करेगी और 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' तथा उसके तहत बने नियमों में बताई गई समिति की जिम्मेदारियों को निभाएगी।

The Internal Complaints Committee (ICC) shall deal with complaints of sexual harassment made by women in the workplace and shall discharge the functions of the Committee specified in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules made thereunder.

3. इस एक्ट की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी पीड़ित महिला, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत, लिखित रूप में 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) से कर सकती है। यह शिकायत घटना की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर की जानी चाहिए, और अगर कई घटनाएं हुई हों, तो आखिरी घटना की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए।

As per the provisions of Section 9 of the Act, *ibid*, inter-alia any aggrieved woman may make, in writing a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Complaints Committee (ICC) within a period of 3 (Three) months from the date of incident and in case of series of incidents within a period of 3 (three) months from the date of last incident.

4. आंतरिक शिकायत समिति, हर कैलेंडर वर्ष में, 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' की धारा 21 और नियम 14 के तहत एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करेगी और उसे अतिरिक्त महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, चेन्नई को सौंपेगी।

The Internal Complaints Committee (ICC) shall prepare in each calendar year a report in terms of Section 21 read with Rule 14 of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and submit the same to the Additional Director General, NACIN, Chennai.

5. आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य, 3 साल पूरे होने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे।

The members of the Internal Complaints Committee (ICC) shall hold office until completion of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

यह आदेश, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, चेन्नई के अतिरिक्त महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Order is issued with the approval of the Additional Director General.

(सहायक निदेशक)
(ASSISTANT DIRECTOR)

प्रतिलिपि / Copy submitted to:

- i. महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, पालासमुद्रम / The Director General, NACIN, Palasamudram.
- ii. अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, चेन्नई / The Additional Director General, NACIN, Chennai.
- iii. समत के सभी सदस्य/All members of the Committee.